भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 444

04 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात केन्द्र

444. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंडी गोबिन्दगढ़ लंबे समय से भारत में एक महत्वपूर्ण इस्पात केन्द्र रहा है जो कबाड़ इस्पात के प्रसंस्करण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में इसके विकास में ठहराव आ गया है और सरकार द्वारा मंडी गोबिन्दगढ़ इस्पात केन्द्र के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कोई पहल की गई है और इस्पात उद्योग में रोजगार के अवसरों और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार इस औद्योगिक केन्द्र की सहायता के लिए किसी विशेष आर्थिक पैकेज पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (घ): मंडी गोबिंदगढ़ में इंडक्शन फर्नेस (आईएफ) और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) की कई इस्पात इकाइयां हैं जो इस्पात विनिर्माण के लिए एक कच्चे माल के रूप में स्क्रैप का उपयोग करती है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में 247 इस्पात इकाइयां हैं, जिनमें से 74 आईएफ और 2 ईएएफ इकाइयां हैं। कच्चे इस्पात के उत्पादन में वर्ष 2021-22 में 1.91 मिलियन टन (एमटी) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2.55 मिलियन टन तक निरंतर वृद्धि हुई है।

इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है जो नीति संबंधी दिशानिर्देश निर्धारित करती है और इस्पात क्षेत्र की दक्षता और कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए संस्थागत तंत्र/संरचना स्थापित करती है। इस भूमिका में, सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 जारी की है, जिसमें वर्ष 2030-31 तक मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर भारतीय इस्पात उद्योग के लिए दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार की गयी है। सरकार ने सरकारी अधिप्राप्ति में घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पादों को वरीयता देने संबंधी नीति की भी घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के लिए प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' विजन को पूरा करना है तथा घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है और यह सभी सरकारी निविदाओं पर लागू है। सरकार ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को भी मंजूरी दी है।

*****